

I/34615/2022

प्रेषक,

डॉ० आशीष कुमार श्रीवास्तव,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,  
आहरण वितरण अधिकारी,  
उत्तराखण्ड शासन।

सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग-01

देहरादून : दिनांक मई, 2022

विषय:- स्टेट डाटा सेन्टर पी0एम0सी0, ड्रोन रिसर्च सेन्टर पी0एम0सी0, सी0एम0 हैल्प लाईन कॉल सेन्टर तथा तकनीकी मानव संसाधनों हेतु अनुदान संख्या-23 के लेखाशीर्षक 3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 60-अन्य, 600-अन्य व्यय, 02-राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढीकरण/आई0टी0डी0ए0 को अनुदान, 27-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान मद से बजट अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, आई0टी0डी0ए0, देहरादून के पत्र संख्या-1/6824/2022, दिनांक 22 अप्रैल, 2022 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-23 के लेखाशीर्षक 3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 60-अन्य, 600-अन्य व्यय, 02-राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढीकरण/आई0टी0डी0ए0 को अनुदान, 27-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखानुदान के अन्तर्गत चार माह हेतु प्राविधानित धनराशि ₹186.67 लाख (रु० एक करोड छियासी लाख सडसठ हजार मात्र) में से धनराशि रु० 93.33 लाख (रु० तिरानवे लाख तैंतीस हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने तथा व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- I. उक्त धनराशि आहरित कर निदेशक, आई0टी0डी0ए0 को उपलब्ध करा दी जायेगी तथा निदेशक आई0टी0डी0ए0 द्वारा आहरित धनराशि का व्यय वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप ही किया जाएगा।
- II. तकनीकी प्रकृति के कार्य के निर्धारण के सम्बन्ध में Specifications निर्धारित करते समय आवश्यकतानुसार ही Norms निर्धारित किये जाये तथा प्रतिस्पर्धा को प्रमोट करते समय Rigidity से बचा जाये एवं Rate Reasonability और Economy/मितव्ययता के सम्बन्ध में यथालागू वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- III. धनराशि का व्यय करते समय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- IV. धनराशि व्यय करते समय उत्तराखण्ड में लागू उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/नियमों के अधीन समस्त प्रक्रियाएं पूर्ण की जाएंगी।
- V. स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र उपयोग/विचलन कदापि न किया जाए।
- VI. धनराशि व्यय करते समय वित्तीय नियमों, बजट मैनुअल के प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययता सम्बन्धी नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- VII. आंवटित धनराशि के सापेक्ष व्यय का उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक 31.03.2022 तक शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

VIII. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-23 के लेखाशीर्षक 3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 60-अन्य, 600-अन्य व्यय, 02-राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढीकरण/आई0टी0डी0ए0 को अनुदान, 27-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान के नामे डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-236/XXVII(1)/2022/9(150)2019 दिनांक-04.04.2022 के प्रस्तर-04 में निहित प्राविधानों के क्रम में तथा बजट आवंटन अनुदान सं0-23 के अलॉटमेन्ट आई0डी0 सं-522050230005, दिनांक: 11 मई, 2022 के द्वारा जारी किए जा रहा है।

Signed by <sup>भवदीय</sup> Ashish Kumar  
Srivastava  
Date: 11-05-2022 17:18:29

(डॉ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव)  
अपर सचिव।

**संख्या एवं दिनांक उक्तवत्**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्तीय सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, आई0टी0डी0ए0, देहरादून।
4. केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
5. सचिवालय प्रशासन, लेखा, उत्तराखण्ड शासन।
6. वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(मो0 ओबैदुल्ला अंसारी)  
अनु सचिव।

Signed by Mohmad  
Oabaidullah Ansari  
Date: 12-05-2022 10:30:09